निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 माघ 1941 (श0)

(सं0 पटना 149) पटना, मंगलवार, 18 फरवरी 2020

सं० 08/आरोप–01–92/2017 सा0प्र0–1616
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
31 जनवरी 2020

श्री सीताराम यादव (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 694/08 (460/11), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, फुलपरास, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 5282 दिनांक 15.06.2007 द्वारा प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें इंदिरा आवास सामान्य एवं विशेष में अनियमितता तथा भ्रष्टाचार का आरोप प्रतिवेदित था। प्रतिवेदित आरोप के विरूद्ध श्री यादव से विभागीय पत्रांक 9684 दिनांक 25.09.2007 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई तथा प्राप्त स्पष्टीकरण पर ग्रामीण विकास विभाग का मंतव्य प्राप्त किया गया। ग्रामीण विकास विभागा द्वारा अपने मंतव्य में श्री यादव के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने की अनुशंसा की गई। ग्रामीण विकास विभाग के उक्त अनुशंसा के आलोक में श्री यादव के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या 5541 दिनांक 17.05.2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय कार्यवाही में जांच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या–10956 दिनांक 06.08.2012 द्वारा श्री यादव को निम्न दंड संसूचित किया गयाः–

(i) वर्तमान कोटि से निम्नतर कोटि एवं वेतनमान में पदावनति। इसके फलस्वरूप इनकी वरीयता पदावनत कोटि मे वर्तमान पदाधिकारियों में सबसे उपर रहेगी।

(ii) प्रोन्नति पर रोक।

उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री यादव द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 16039 दिनांक 27.11.2012 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

उक्त संसूचित दण्डादेश संकल्प ज्ञापांक 10956 दिनांक 06.08.2012 एवं पुनर्विलोकन अभ्यावेदन अस्वीकृति संबंधी संकल्प ज्ञापांक 16039 दिनांक 27.11.2012 के विरूद्ध श्री यादव द्वारा माननीय उच्च न्यायलय, पटना में याचिका सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 21831/2012 दायर किया गया। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.12.2017 को आदेश पारित करते हुए श्री यादव से संबंधित विभागीय दंडादेश संकल्प ज्ञापांक 10956 दिनांक 06.08.2012 एवं पुनर्विलोकन अभ्यावेदन अस्वीकृति संबंधी संकल्प ज्ञापांक 16039 दिनांक 27.11.2012 को निरस्त कर दिया गया एवं श्री यादव के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43 (बी0) के तहत नये सिरे से आरोपों की जांच करने का निदेश दिया गया।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के आलोक में मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1460 दिनांक 30.01.2018 द्वारा श्री यादव से संबंधित दंडादेश संकल्प ज्ञापांक 10956 दिनांक 06.08.2012 एवं पुनर्विलोकन अभ्यावेदन अस्वीकृति संबंधी संकल्प ज्ञापांक 16039 दिनांक 27.11.2012 को वापस लेते हुए न्यायादेश के अनुरूप श्री यादव के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम–43(बी0) के तहत नये सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 315 दिनांक 31.12.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। प्राप्त जांच प्रतिवेदन में श्री यादव के विरूद्ध आरोप संख्या–1, 3, 4 एवं 5 को आंशिक रूप से प्रमाणित तथा आरोप संख्या 6 एवं 7 को प्रमाणित पाया गया। आरोप संख्या 2 को अप्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 1871 दिनांक 11.02.2019 द्वारा श्री यादव से लिखित अभिकथन की मांग की गयी। जिसके क्रम में श्री यादव द्वारा अपना लिखित अभिकथन (दिनांक 04.03.2019) समर्पित किया गया। लिखित अभिकथन में श्री यादव द्वारा मुख्य रूप से उल्लेख किया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा सी0सी0ए0 रूल्स के नियम–17 का पालन नहीं किया गया है एवं उनके विरूद्ध लगाये गये सभी आरोप बिल्कुल गलत एवं बिना प्रमाण के है।

श्री यादव के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं श्री यादव द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने लिखित अभिकथन में प्रमाणित/आंशिक रूप से प्रमाणित आरोपों के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है, जिस पर विचार किया जा सके। उल्लेखनीय है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री यादव के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके लिखित बचाव बयान, विभागीय मंतव्य तथा विभागीय मंतव्य पर उनकी लिखित प्रतिक्रिया पर विश्लेषणोंपरांत आरोप संख्या 1, 3, 4 एव 5 को आंशिक रूप से प्रमाणित तथा आरोप संख्या 6 एवं 7 को प्रमाणित पाया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा विश्लेषण/मंतव्य में उल्लेख किया गया है कि आरोपी पदाधिकारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अतः श्री यादव का यह कहना कि जांच पदाधिकारी द्वारा सी0सी0ए0 रूल्स, 2005 के नियम 17 का पालन नहीं किया गया है, सही नहीं है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री यादव द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन को अस्वीकृत करते हुए संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित/आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम–43(बी0) के संगत प्रावधानों के तहत उनके **पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत राशि की कटौती पाँच वर्षो तक** करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया।

उक्त विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–10126 दिनांक 26.07.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग की दिनांक 23.12.2019 को आहुत पूर्ण पीठ की बैठक में श्री यादव के विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित उक्त दंड प्रस्ताव **(यथा पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत राशि की कटौती पाँच वर्षो तक करने)** पर सहमति व्यक्त किया गया। उक्त मंतव्य/सहमति बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–2581 दिनांक 08.01.2020 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया।

अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री सीताराम यादव (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 694/08 (460/11), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, फुलपरास, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत को प्रमाणित आरोपो के लिए बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम–43(बी0) के संगत प्रावधानों के तहत **पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत राशि की कटौती पाँच वर्षो तक करने** का दंड अधिरोपित/संसूचित किया जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राम विशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 149-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in